न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जहानाबाद ।

भूमि विवाद वाद सं0– **74/2014**

विजय सिंह एवं अन्य बनाम रामाशीष यादव एवं अन्य

WEB - PAGE

30/1/15

यह वाद आवेदक विजय सिंह (2) जगत सिंह (3) चन्द्र बिलास सिंह (4) चन्द्रभूषण सिंह सभी के पिता अमिर सिंह, ग्राम–बैना, पो0–घोषी, जिला–जहानाबाद द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें (1) रामाशीष यादव (2) बलमदेव यादव दोनों के पिता स्व0 वृक्ष यादव (3)राजदेव यादव पिता बुटाई यादव (4) मुन्ना यादव पिता स्व केश्वर यादव (5) नरेश यादव (6) विश्वनाथ यादव (7) अवधेश यादव (8) गॉधी यादव (9) चंन्द्रशेखर यादव पिता गनौरी यादव (10) राजेन्द्र यादव (11) बौधु यादव (12) कमलेश यादव पिता स्व0 लच्छु यादव (13) मधेश्वर यादव पिता रामपति यादव (14) राम बाबु यादव पिता रामवृक्ष यादव (15) वृजलाल यादव पिता अवध यादव (16) राजेश्वर यादव पिता महेन्द्र यादव (17) दिनेश यादव (18) सतेन्द्र यादव पिता देवपति यादव सभी निवासी ग्राम नुरपुर , पो0–बंधुगंज, घोषी, जिला जहानाबाद को पक्षकार बनाया है।

वाद पत्र की अनुसूची– I में विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार अंकित है:–

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा
558	3356	64 डी0

WEB - PAGE

WEB - PAGE

अवस्थित ग्राम वैना, थाना घोषी, जिला जहानाबाद।

प्रथम पक्ष ने अपने वाद पत्र एवं बहस में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वादग्रस्त जमीन जमींदार की बकाश्त मालिक थी, जिसका कुल रकबा 4.87 एकड़ था। जिस पर जमींदार ने नजराना लेकर हुक्मनामा जनार्दन सिंह के नाम से दिया था जो संयुक्त परिवार के कर्ता थे। उसी परिवार में अमीर सिंह भी थे जो आवेदक के पिता थे।

कि प्रकियाधीन रिविजनल सर्वे खतियान जनार्दन सिंह पिता राम अवतार सिंह के नाम पर बराबर हिस्सा दर्ज हुआ। जनार्दन सिंह की मृत्यु बिना किसी संतान की हो गई। इस प्रकार अमीर सिंह उसके सम्पूर्ण मालिक हुए।

कि बी.टी. एक्ट की धारा 40 के अन्तर्गत जनार्दन सिंह ने लगान संबंधी मुकदमा दर्ज किया था। जिसका केस नं0 49/47–48 था। जिसका संयुक्त खाता जनार्दन सिंह वो अमीर सिंह के नाम था।

WEB - PAGE

कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष का वादग्रस्त जमीन पर हकियत एवं अधिकार है।

कि प्रतिपक्षी की नजर वादग्रस्त जमीन पर है और जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते हैं।

प्रथम पक्ष ने निम्नांकित कागजात दाखिल किये हैं :–

1. जनार्दन सिंह एवं अमीर सिंह के नाम निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति।
2. प्रकियाधीन खतियान की छायाप्रति।
3. नक्सा की छायाप्रति।
4. सादा हुकुमनामा की छायाप्रति।
5. आदेश फलक के नकल की छायाप्रति।

WEB - PAGE

प्रतिपक्ष ने अपने प्रतिउतर एवं बहस में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रथम पक्ष ने सही तथ्यों को छिपाकर यह वाद लाया है।

कि वादग्रस्त 64 डी0 जमीन के बीच उतर दक्षिण की ओर लगभग 6–7 डी0 पर

WEB - PAGE

30/1/15

WEB - PAGE